कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भादरा

क्रमांक : रीडर/आदेश /2025/520 दिनांक :- 21/03/2025

आदेश

प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें बताया कि प्रार्थी बृजलाल पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी भादरा द्वारा पूर्व में रोही चक 7 बारानी के खाता सं0 79/72 के मु0 न0 89, 110 की कुल 1.6950है0 कृषि भूमि अकृषि कार्य में ईट भटटा में रूपान्तरित करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था उक्त ईट भटटा प्रयोजनार्थ मु0 न0 110 के किला न0 1 की 0.253है0 में से उत्तरी दिशा में 30 फीट चौडाई व 165 फीट लम्बाई तथा किला न0 2 की 0.253है0 में से उत्तरी दिशा में 30 फीट चौडाई व 165 फीट लम्बाई भूमि रास्ता हेतु समर्पण का निवेदन किया गया था। समर्पण उपरान्त उक्त भूमि का तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया गया। लेकिन प्रार्थी की उक्त रोही मौजा चक 7 बारानी की भूमि पैराफेरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ ईट भटटा में रूपान्तरण नहीं हो पाई। तथा वर्तमान में प्रार्थी की कृषि भुमि के मु न0 110 के किला न0 1/1 की 0.046है0 गै0 मु0 रास्ता व किला न0 2/3 की 0.046है0 गै0 मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चुंकि प्रार्थी का उक्त रकबा ईट भट्टा में संपरिवर्तन नहीं होने के कारण प्रार्थी को खातेदारी उपयोग व उपभोग में परेशानी होती है। इसलिए मु न0 110 के किला न0 1/1 की 0.046है0 गै0 मु0 रास्ता व किला न0 2/3 की 0.046है0 गै0 मु0 रास्ता को कलमजन किया जाकर बारानी खातेदारी कृषि भूमि दर्ज करवाने का निवेदन किया। क्योंकि प्रार्थी की भूमि रूपान्तरण की प्रार्थना पत्र खारीज हो चुकी है।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार राजस्व भादरा की रिपोर्ट व प्रार्थी की प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट मु न0 110 के किला न0 1/1 की 0.046है0 गै0 मु0 रास्ता व किला न0 2/3 की 0.046है0 गै0 मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त रास्ता की भूमि का समर्पण प्रार्थी द्वारा ईट भट्टा में संपरिवर्तन होने की कण्डीशन पर किया गया था परन्तु प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि ईट भट्टा में संपरिवर्तन नहीं होने के कारण उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है। अतः प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की मु न0 110 के किला न0 1/1 की 0.046है0 गै0 मु0 रास्ता व किला न0 2/3 की 0.046है0 गै0 मु0 रास्ता की भूमि को कलमजन किया जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी कृषि भूमि दर्ज की जाकर राजस्व रि[illegible]स्त किया जावे। एवं यदि कृषि भूमि पर कोई विवाद, स्थगन ना हो त[illegible] रिकार्ड में अंकन किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:17:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (हनुमानगढ)

Scanned with OKEN Scanner